बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०सं०–2/अ0प्र0–2–229/2019 433 /पटना, दिनांक :– 27.2.23

कार्य प्रमंडल, बक्सर अन्तर्गत भूमि जल निकाय के तहत करहा के रूप में अवस्थित भूमि मौजा देवढ़िया खाता सं0–548, खेसरा सं0–2703, 2580 (1195 फीट की लम्बाई), खेसरा संख्या–1221 (758 फीट की लम्बाई) में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये प्राक्कलन बनाकर जनहित के विरूद्ध पथ निर्माण कार्य कराये जाने के लिए श्री मोतीसागर सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर से आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 1370 अनु0 दिनांक 12.08.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 05.09.2022 की समीक्षा मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग से करायी गयी। समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि उक्त रेखांकन में पूर्व से मिट्टी का पथ निर्मित था जो देवढ़िया हरिजन टोला के ग्रामीणों द्वारा उपयोग किया जा रहा था। स्टेट कोर नेटवर्क में प्रस्तावित सभी पथों का डी0पी0आर0 तैयार की जानी थी, जिसके तहत इस पथ का भी डी0पी0आर0 Transect Walk एवं स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्रामीणों की उपस्थिति के उपरांत तैयार किया गया। उक्त पथ के मामले में NOC प्राप्त किया गया है। इसकी सूचना उप विकास आयुक्त, बक्सर को पत्रांक 01/कैम्प राजपुर अंचल दिनांक 29.10.2019 एवं पत्रांक 1712 अनु0 दिनांक 30.10.2019 द्वारा समर्पित किया गया है। संबंधित पथ के सहायक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक 21 दिनांक 19.02.2020 के द्वारा ग्रामीणों के जमीन में सिंचाई बाधित नहीं होने के सूचना दी गयी है। दिनांक 06.08.2019 को देवड़िया हरिजन टोला के ग्रामीणों द्वारा जिला पदाधिकारी, बक्सर को उक्त पथ को शीध्र निर्माण एवं पटवन का कार्य ठीक से होने से संबंधित आवेदन समर्पित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में स्पष्ट है कि श्री सिंह द्वारा उक्त कार्य कार्यहित में किया गया है एवं सारी प्रक्रियाएँ समय–समय पर पूरा किया गया है।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मोतीसागर सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर के स्पष्टीकरण को स्वीकृत करते हुए प्रश्नगत आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री मोतीसागर सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना को प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया जाता है।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० 22/2/2023
(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–229/2019 433 /पटना, दिनांक :– 27.2.23

प्रतिलिपि :– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री मोतीसागर सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/2/2023

विशेष सचिव